न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 02/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/ 00003)

1.	मंगतुराम	पुत्रगण धनपत पुत्र लेखूराम	समस्त जाति जाट, निवासीगण बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2.	भजनलाल		
3.	रेशमी पत्नी धनपत पुत्र लेखुराम		
4.	कलावती	पिसरान धनपत पुत्र लेखूरा	
5.	धोधा		
6.	गुड्डी		
7.	सुमित्रा		
8.	विमला पत्नी मोहन पुत्र लेखूराम		
9.	भागसिह	पिसरान मोहन पुत्र लेखूराम	
10	मंगलचन्द		
11.	पुष्पा		
12.	सरोज		
13.	दर्शना		
14.	चम्पादेवी पत्नी कुरड़ाराम पुत्र लेखूराम		
15.	रामकरण	पुत्रगण कुरड़ाराम पुत्र लेखूराम	
16.	लालचन्द		
17.	महीपत	पुत्रगण रामजीलाल	
18.	महावीर		
19.	रामेश्वर		
20.	शिशपाल उर्फ पालाराम		
21.	कृष्णा पत्नी निहाल सिह पुत्र रामजीलाल		
22.	अनिता	पिसरान निहाल सिह पुत्र रामजीलाल	
23.	आरती		
24.	रेशमी पत्नी इन्द्राज पुत्र रामजी		
25.	बलराज	पिसरान इन्द्राज पुत्र रामजीलाल	
26.	रोहताश		
27.	लिछमा		

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा, जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री हरिराम विश्नोई – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक: 2[illegible] 2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 06.10.77 के विरूद्ध पेश हुई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं. 28 की 1 बीधा व खसरा नं. 44 की 1 बीधा 16 बिस्वा भूमि को गोवा मे दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि ग्राम बोझला तहसील नोहर के खसरा नं. 28 में 47.12 बीधा, खसरा नं. 38 में 34.01 बीधा, खसरा नं. 44 में 27.15 बीधा, खसरा नं. 146 में 17.14 बीधा, कुल किता 4 में 127.02 बीधा कृषि भूमि अपीलान्टगण सं. 1 ता 16 के पिता धनपत, मोहन व कुरडा की 1/3 हिस्सा व ख्याली वल्द मोमन की 1/3 हिस्सा की अपीलान्टगण 7 ता 20 व 21 ता 28 के पिता निहाल व इन्द्राज के हिस्से की थी जो संयुक्त रूप से समस्त अपीलांट्स के नाम दर्ज चली आ रही है। ग्राम बोझला के खसरा नं. 28 जिसमे 47.12 बीधा भूमि थी, उसमे से नया खसरा 28/1 मीन कायम करते हुए 1 बीधा व खसरा नं. 44 तादादी 27.15 बीधा, मे से खसरा नं. 44/1 की 1.16 बीधा कुल 2.16 बीधा भूमि गोवा मे दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि पहले अपीलान्ट्स के पिता–पति के कब्जा काश्त मे थी व अब अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त मे है। उक्त भूमि कभी भी गोवा के रूप में काम नही आई। गोवा वो भूमि होती है जो पशुओ के आने जाने की पगडंडी व बैठने की जगह होती है। खसरा नं. 44 मे कटाण का रास्ता चल रहा है व खसरा नं. 28 के पश्चिम मे भी रास्ता चल रहा है सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मौके पर जाकर जो भूमि जिस उपयोग व जिस रूप मे आ रही थी, उसी अनुसार रजिस्टर एन्ट्री की थी जो उस वक्त खसरा नं. 28 व 44 की भूमि पर कोई गोवा नहीं था व ना ही गोवा को रूप मे उपयोग आ रही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी सबूत व मौका का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपील सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर

अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर फरमाई जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 12.10.1977 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 12.10.1977 को कोई आदेश पारित नही किया गया है इस दिनांक को उप जिलाधीश (राजस्व) नोहर के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) भादरा को निर्णय की पालना हेतु पत्र लिखा गया है, वास्तव में यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 06.10.77 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जो कि मियाद बाहर है। अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसको सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16.01.2019 को हुई जबकि उपखण्ड अधिकारी नोहर की पत्रावली में निर्णय दिनांक 06.10.77 की आदेशिका का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि "प्रतिवादीगण को सुना गया और पाया की प्रतिवादी का कथन तथ्यहीन है" साथ ही प्रतिवादी के तर्क को मानने योग्य नही पाया और अंकित किया कि खसरा नं. 28 की 1 बीधा व खसरा नं. 44 की 1.16 बीधा मुताबिक साबिका रिकार्ड मे गै.मु. गोवा दर्ज था जिसे प्रतिवादी ने फर्जी इन्द्राज द्वारा सेटलमेन्ट से मिलकर दर्ज करवाया इससे साबित है कि अपीलान्ट के पूर्वज धनपत, मोहन व कुरडा तथा महिपत अपीलान्ट सं. 17 ता 20 स्वयं व निहाल सिह एव इन्द्राज अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार रहे है तथा न्यायालय के संमक्ष उपस्थित भी हुए है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट/प्रतिवादीगणों को अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से थी, जिसकी अपील करीब 45 वर्ष बाद पेश की गई अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर पर ही खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2023.01.05 12:13:34 IST
Reason: SelfAttested